रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2007/माघ 3, 1928

No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2007/MAGHA 3, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 41(अ).—राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम, 2004 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. (क) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम, 2004 में,–

(I) नियम 3 में, "मार्च की 31वीं तारीख 2008" अंकों, अक्षरों तथा शब्दों को दोनों स्थानों पर जहां वे आए हैं "मार्च की 31वीं तारीख, 2009" अंकों, अक्षरों तथा शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) नियम 6 के उप-नियम (1) में खण्ड (ख) तथा (ग) को निम्नलिखित खण्डों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(ख) व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ प्रपत्र घ-1 से घ-3 में प्राप्त राशियों और गारंटियों के विवरण, यदि कोई हो;

(ग) व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ प्रपत्र घ-4 में परिसम्पत्तियों का विवरण, यदि कोई हो;

(ख) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम, 2004 से संबंधित प्रपत्र घ-2 में, दूसरे कालम में, "लंबित राशियों" शीर्ष के तहत प्रविष्टयों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

लम्बित राशियां (करोड़ रुपए)				
"0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक"

[फा. सं. 3(14)/2006-एफआरबीएम]

एल. एम. वास, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 2 जुलाई, 2004 की असाधारण अधिसूचना सं. सा.का.नि. 396 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2007

G.S.R. 41(E).— In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. (a) In the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004,—

(i) in Rule 3, for the figures, letters and the words, "31st day of March, 2008", at both the places where they occur, the figures, letters and the words "31st day of March, 2009" shall be substituted;

(ii) in Rule 6 in sub-rule (1), for clause (b) and (c), the following clauses shall be substituted namely :

"(b) statements of receivables and guarantees in Forms D-1 to D-3 along with explanatory notes, if any;

(c) a statement of assets in Form D-4 along with explanatory notes, if any".

(b) In Form D-2 to the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004, in the second column, under the heading "Amounts pending" for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

Amounts pending (Rs. crore)				
"0-1 year	1-2 years	2-3 years	3-5 years	above 5 years"

[F. No. 3(14)/2006-FRBM]

L. M. VAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* Extraordinary Notification number G.S.R. 396(E) dated the 2nd July, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अधिसूचना सा.का.नि. 41 (अ.) दिनांक 23 जनवरी, 2007 के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 41 (अ) दिनांक 23 जनवरी, 2007 में संशोधन करने का अनुरोध है (क) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 के नियम (3) ताकि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 4 जिसे वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004, दिनांक 10/9/2004 को अधिसूचित, के अंतर्गत संशोधित किया गया था, के अनुसार 31 मार्च, 2009 की लक्षित तारीख दर्शाई जा सके, और (ख) फॉर्म घ-1 से घ-4 प्रकटीकरण विवरण संबंधी नियम 6 ताकि, यथा-आवश्यक, व्याख्यात्मक टिप्पणियों के रूप में उचित स्पष्टीकरण के साथ सूचना विषयक विवरणों में बेहतर सुस्पष्टता संभव हो सके ।

EXPLANATORY MEMORANDUM TO NOTIFICATION NO. G.S.R. 41(E) DATED 23rd JANUARY, 2007

Notification No. G.S.R. 41(E) dated 23rd January, 2007 seeks to amend (a) Rule 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Rules, 2004 so as to reflect the target date of 31st March, 2009 as in Section 4 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, which was amended vide Finance (No.2) Act, 2004, notified on 10.9.2004, and (b) Rule 6 relating to Forms D-1 to D-4 disclosure statements to enable better clarity in the reporting statements with appropriate clarification in the form of explanatory notes, as necessary.